प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 16.03.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 16.03.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है ।

1. थाना इकदिल

मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट इटावा द्वारा अभियुक्त कन्नू उर्फ सुमित कश्यप पुत्र सोनू कश्यप को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा **श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पुलिस, पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को **10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से **105 ग्राम नशीला पाउडर** बरामद होने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर दिनांक **26.03.2021** को **मु0अ0सं0-92/2021 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **उ0नि0 श्री नरेश सिंह** द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार **का0 श्यामपाल**, मॉनिटरिंग टीम तथा **एडीजीसी श्री योगेन्द्र सिंह परिहार** द्वारा नियत तिथियों पर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अन्य साक्ष्यों के साथ प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक **16.03.2026** को मा0 न्यायालय **एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट इटावा** द्वारा अभियुक्त को **धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट** के अन्तर्गत **10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अभियुक्त-

1. कन्नू उर्फ सुमित कश्यप पुत्र सोनू कश्यप निवासी सती मोहल्ला नौरंगाबाद थाना कोतवाली इटावा ।